फैक्स/निबंधित

संचिका सं0-सी0/सी0आई0मिस0-4022/2016................/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार

सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

रोहतास (सासाराम)

पटना, दिनांक-...............................

विषयः- जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को उनके पत्रांक-116/वि0गो0, दिनांक 19.09.2016 के आलोक में दिनांक 26.10.2015 की साम्प्रदायिक घटना में मारे गए व्यक्ति स्व0 अमानत अजीज अंसारी की विधवा आश्रित के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु विभागीय संकल्प सं0-8960, दिनांक 30.09.2013 में उल्लिखित निर्धारित राशि कुल ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख रू) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक-116/वि0गो0, दिनांक 19.09.2016 के आलोक में निम्नवत् राशि के आवंटन की स्वीकृति दी जाती हैः-

| वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, रोहतास को पूर्व में आवंटित राशि। | वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, रोहतास को वर्त्तमान में आवंटित राशि। | वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, रोहतास को कुल आवंटित राशि। |
|---|---|---|
| शून्य | ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख रू) मात्र | ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख रू) मात्र |

आदेशः- स्वीकृत।

2. उपरोक्त आवंटित राशि ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख रू) मात्र बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या-22, उपशीर्ष -0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड सं0-एन 223560200004, विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को उनके पत्रांक-116/वि0गो0, दिनांक 19.09.2016 के आलोक में दिनांक 26.10.2015 की साम्प्रदायिक घटना में मारे गए व्यक्ति स्व0 अमानत अजीज अंसारी की विधवा आश्रित के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु विभागीय संकल्प सं0-8960, दिनांक 30.09.2013 में उल्लिखित निर्धारित राशि कुल ₹ 5,00,000.00 (पाँच लाख रू) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है। इस राशि का किसी अन्य योजना के खर्च पर विचलन नहीं किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा **विभागीय संकल्प संख्या-8960, दिनांक 30.09.2013 में निहित निदेश के आलोक में अपने स्तर से अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति एवं उसके भुगतान संबंधी स्वीकृत्यादेश निर्गत कर ही उक्त राशि का भुगतान कराने की कार्रवाई की जाएगी।**

SEC:C:MAHDRAFTS

4. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, रोहतास होंगे एवं राशि की निकासी जिला कोषागार, रोहतास से की जायेगी। वे राशि की निकासी के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–4989/बी (2), दिनांक–16.05.2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी, रोहतास की होगी।

6. जिला पदाधिकारी, रोहतास यह सुनिश्चित कर लेंगे की उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान रोहतास जिला में दिनांक 26.10.2015 की साम्प्रदायिक घटना में मारे गए व्यक्ति स्व0 अमानत अजीज अंसारी की विधवा आश्रित की पहचान कर की गई है।

7. राशि का भुगतान केवल एकाउन्ट पेई चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा। यदि प्रभावित व्यक्ति का बैंक खाता नहीं है, तो जिला पदाधिकारी, रोहतास भुगतान के पूर्व उनका बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

8. जिला पदाधिकारी, रोहतास का यह दायित्व होगा कि वे भुगतान की गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण–पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

9. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं हो सके, तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–सी0/सी0आई0मिस0–4022/2016................/पटना,दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांकः–सी0/सी0आई0मिस0–4022/2016................/पटना,दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रोहतास /वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–सी0/सी0आई0मिस0–4022/2016................/पटना,दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा–ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–सी0/सी0आई0मिस0–4022/2016...10217.../पटना,दिनांक...28.10.16...

प्रतिलिपिः– आई0टी0प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 28.10.16

सरकार के विशेष सचिव

SEC:C:MAHDRAFTS